

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:- कैलाश चन्द गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा  
प्रकरण संख्या- 53/2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0रा0आ0  
मुन्ने खां पिता मांगीलाल जाति पिंजारा उम्र 58 वर्ष निवासी बडौदिया तह0 रावतभाटा।  
.....प्रार्थी

विरुद्ध

1. रघु सिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी बडौदिया तह0 रावतभाटा।
2. भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।  
.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :- श्री रईस अहमद मंसूरी।

दिनांक:- 16/03/2022

### -:आदेश:-

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि मौजा ग्राम बडौदिया पटवार हल्का व भू0आ0नि0 बडौदिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 142 आराजी न. 169,211,212,96,97 कुल किता 05 कुल रकबा 6.65 है0 प्रार्थी के नाम पर के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की दर्ज रिकार्ड होकर जिसमें से प्रार्थी ने आराजी संख्या 211 रकबा 0.77 है0 व आराजी संख्या 212 रकबा 0.21 है0 गै0मु0आ0चा0 की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि आराजी संख्या 211 व 212 के पडौसी खातेदार आये दिन मेड व कब्जे को लेकर तथा घास आदी को काटने पर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर दिनांक 08.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। परोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम बडौदिया पटवार हल्का बडौदिया भू0आ0नि0 बडौदिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 142 आराजी संख्या 211 रकबा 0.77 है0 व आराजी संख्या 212 रकबा 0.21 है0 गै0मु0 आ0चा0 प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे। एवं पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़